

कार्यालय जिला पंचायत, आगरा।

ई-नीलामी सूचना

जिला पंचायत के पत्रांक 351/जि0पं0आ0/2019-20 दिनांक 27.05.2019 द्वारा ई-नीलामी की कार्यवाही निम्न प्रकार प्रस्तावित की गई थी। जिला पंचायत से उ0प्र0 [जिला पंचायत] तथा [क्षेत्र पंचायत] (चल अचल सम्पत्ति) नियमावली-1965 अनुसार रिक्त सम्पत्ति का किराया/आय निर्धारण हेतु नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार उचित वार्षिक किराये पर लेने हेतु ई-नीलामी के लिये वर्ष 2019-20 में ई-नीलामी कराये जाने हेतु प्रत्येक माह के चतुर्थ शुक्रवार को www.agra.nic.in की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। यह तिथि 31.05.2019 से होगी। ई-नीलामी प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार को कार्यालय समय में होगी, अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जायेगी और उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे से उपस्थित के समक्ष निर्धारित समिति द्वारा कार्यालय जिला पंचायत में खोली जायेगी। वर्तमान में यह तिथि 10.06.2019 से होगी।

उक्त कार्यवाही में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उसको और अधिक पारदर्शी बनाये जाने के लिए किराये के अनुबन्ध को अनुमोदन कराकर उसको भी www.agra.nic.in की वेबसाइट पर डाले जाने तक उक्त कार्यवाही स्थगित की जाती है।

(प्रदीप कुमार)

अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, आगरा।

कार्यालय, जिला पंचायत, आगरा।

पत्रांक- 468 /जि0पं0आ0/2019-20

दिनांक : 10.06.2019

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कार्यालय, मा0 जिला न्यायाधीश, आगरा।
2. कार्यालय, जिलाधिकारी, आगरा।
3. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
4. अपर जिलाधिकारी, (वित्त एवं राजस्व)/प्रशासन, आगरा।
5. वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायत, आगरा/अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा को जिला पंचायत में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा।
7. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी आगरा को वेबसाइट www.agra.nic.in पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।

(प्रदीप कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, आगरा।